शोध पत्र आमंत्रण

अल्पज्ञात भाषाओं का प्रलेखन : विम्ब्र एवं माध्यम

12-13 फरवरी, 2020

केंद्रीय हिंदी संस्थान के मैसूरु केंद्र एवं भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरु के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी

https://sites.google.com/site/languagedocumentationmysuru

भारतवर्ष में व्यक्तिगत एवं सांस्थानिक स्तर पर अल्पज्ञात भाषाओं के प्रलेखन पर कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन प्रलेखन के माध्यम को लेकर विद्वानों का विचारक एकमत नहीं हैं। सिर्फ केंद्रीय हिंदी संस्थान प्रलेखन का कार्य हिंदी में कर रहा है। हालांकि 'भारतीय भाषा संस्थान' लुप्तप्राय भाषाओं के लिए बनाए जा रहे डिजिटल कोशों में हिंदी परंपरागत भी दी गई हैं जोर दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रलेखन के कार्य में मुद्दत: अंग्रेजी को ही माध्यम बनाया जा रहा है। इन भाषाओं के व्याकरण अंग्रेजी में दी गई है। अतः अल्पज्ञात भाषाओं के प्रलेखन से जुड़े प्रश्नों एवं माध्यम पर विचार करने हेतु केंद्रीय हिंदी संस्थान का मैसूर केंद्र भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरु के साथ मिलकर अल्पज्ञात भाषाओं का प्रलेखन : विम्ब्र एवं माध्यम शीर्षक से दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है।

भारत का भाषाई परिक्षण

भारत में भाषाओं की वास्तविक स्थिति क्या है? अल्पज्ञात भाषाओं की संख्या कितनी है? इन भाषाओं के बोलने वाले किन परिस्थितियों में अपनी मातृभाषाओं से विचार करना है? छोटे भाषा समुदाय क्या भाषा किंव्रण कर रहे हैं या उनकी आवश्यकता हो जीवन-धीरे-धीरे कम हो रही है? वर्तमान दौर बुद्धि भाषिकता के क्षेत्र में अन्य छोटे भाषा समुदाय मुद्दत धारा में जुड़ने के लिए अन्य भाषाओं को भी अपना रहे हैं तो इसमें बुरा क्या है? क्या एक भाषा का संकटापन होना दूसरी भाषा के प्रभावशाली होने का परिणाम है? कौन सी भाषाएं सुरक्षित हैं? हिंदी से विचार संबंधी शब्दावली का धीरे-धीरे लोप हो रहा है।

अल्पज्ञात भाषाओं का प्रलेखन

भाषाओं के प्रलेखन की आवश्यकता क्यों है? प्रलेखन में क्या-क्या प्रलेख्यें किया जाय? क्या सिर्फ भाषा को प्रलेखित किया जाय या साथ ही उस भाषा में निहित ज्ञात (सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, न्यायिक, औषधीय इत्यादि) का भी समूचे प्रलेखन किया जाय? इन भाषाओं के प्रलेखन में भाषा-समूह की कितनी भागीदारी होगी? क्या उनकी भौमिक सिर्फ सूचना-प्रदाता तक ही सीमित रहेगी या उससे आगे
बढ़कर प्रकाशन में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी? भाषा प्रलेखन का मुख्य उद्देश्य अन्य भाषाओं का संरक्षण एवं विकास से भी जुड़ा होगा?

प्रलेखन का माध्यम

अल्पज्ञात भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है और उनके अन्य लोगों तक पहुँचाने के लिए अन्य भाषाओं के माध्यम से ही प्रलेखन हो सकता है। यह प्रश्न है कि अल्पज्ञात भाषाओं का प्रलेखन किस भाषा के माध्यम से किया जाय और इस प्रश्न पर विचार करना इस संगठन के मूल में है। प्रलेखित सामग्री का उपयोग संरक्षित किए बिना अधिकांशः प्रलेखन का कार्य अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से किया जा रहा है। हिंदी माध्यम से प्रलेखन (अथवा कोश एवं लोक साहित्य) का कार्य सिफ़ारिश दी है। 

प्रलेखन की समस्याएँ

प्रलेखन का कार्य जितना आसान प्रतीत होता है वास्तव में उतना है नहीं। भाषाओं के अध्ययन, संरक्षण एवं प्रलेखन का प्रथम संपादन सियासत की रिकार्डिंग एवं उसका लिपयंकर है। डेटा-संग्रहण के लिए क्षेत्रकाय अनवरत है। हालांकि विभिन्न परिस्थितियों में क्षेत्रकाय की रणनीति विभिन्न होती है, लेकिन प्रत्येक तरह के क्षेत्रकाय की अपनी समस्या होती है। इस शीर्षक में शीर्षक के लिए आवश्यक साधनों (प्रश्नावली) उपकरणों (रिकार्डिंग), सूचना-प्रदाता (Informant) के संगुण के साथ साथ शोधककहाँ से अपेक्षित व्यवहार से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। लिपयंकर के लिए अंतरराष्ट्रीय ध्वनि लिपि के स्थान पर देवनागरी प्रयोग करके में क्या सुविधा होगी एवं कौन-सी समस्याएँ सिर उठाएँगी?

प्रलेखन की स्थिति

कुछ अल्पज्ञात भाषाओं के प्रलेखन का कार्य पहले से ही हो रहा है अतः इस शीर्षक के अंतर्गत कुछ भाषाओं पर भाषा-प्रलेखन से संबंधित शोध प्रयत्न पढ़े जा रहे। जिनमें उन अल्पज्ञात भाषाओं के व्याकरण, कोश-निर्माण, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक प्रलेखन से संबंधित शीर्षकों पर हिंदी भाषा में चर्चा होगी।

उक्त शीर्षक एवं प्रश्नों को संबंधित निम्न उपविषयों पर शोध-पत्र आमंत्रित हैं-

- भाषा-प्रवन (language documentation)
- अल्पज्ञात भाषाओं का प्रलेखन एवं क्षेत्रकाय (field work)
- भारतीय भाषाओं का प्रलेखन एवं देवनागरी
- अल्पज्ञात भाषा एवं व्याकरण लेखन (Phonological, morphological and syntactic sketch)
• सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक-शैक्षिक व्यवस्था एवं भाषाई पुस्तकालय (language revitalization)
• अल्पज्ञात भाषाएँ एवं भाषाई अम्लीम (language attitude)
• अल्पज्ञात भाषाओं में कोशकायक
• भारतीय भाषाएँ एवं लिपि
• शिक्षा का माध्यम एवं हिंदी की क्षमता
• देवनागरी की वैज्ञानिकता एवं रोमान का वर्तमान
• भारतीय नृजातीयता एवं समाज-सांस्कृतिक प्रलेखन (ethno-linguistic and socio-cultural documentation)
• अल्पज्ञात भाषाएँ एवं उनका साहित्य

शोधपत्र भेजने का तरीका

इस संगोष्ठी का उद्देश्य उक्त विषयों/प्रश्नों पर विद्वानों एवं शोधकर्ताओं को अपने विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए मंच उपस्थित करवाना और हिंदी के माध्यम से प्रलेखन के कार्य को बढ़ावा देना है, जिससे इन अल्पज्ञात भाषाओं से संबंधित जानकारी का आमजन तक पहुँच पाए। अतः आमंत्रित शोध-पत्रों एवं विचार-विवरण का माध्यम हिंदी होगी एवं चुनने हुए शोध-पत्रों को पुस्तकालयरूप में प्रकाशित करने की भी योजना है। पंजीयन का कोई शुल्क नहीं होगा और प्रत्येक लेखक को लेखकीय प्रति संस्थान द्वारा उनके पते पर भेजी जाएगी। इस हेतु आमंत्रित शोध-पत्रों को यूनिकोड (संबंध ने 2500 शब्दों के) में टूकित एवं संसदर्भ न्यूनतम 2500 शब्दों में होना चाहिए।

शोध-पत्र संगोष्ठी के ई-मेल पता documentationseminar@gmail.com पर भेजा जा सकता है।

• शोध-पत्र भेजने की तिथि- 19 जनवरी, 2020
• शोध-पत्र स्वीकृति की तिथि- 24 जनवरी, 2020
• ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि- 9 फरवरी, 2020

संगोष्ठी की नवीनतम जानकारी के लिए संगोष्ठी की वेबसाइट https://sites.google.com/site/languagedocumentationmysuru पर जाएं।

संस्कारक
प्रो. नन्द किशोर पाण्डेय, निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान एवं सचिव, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल
प्रो. डॉ. जी. राव, निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

संयोजक
डॉ. परमान सिंह, क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय हिंदी संस्थान, मैसूर, केंद्र
डॉ. नारायण चौधरी, सहायक निदेशक व व्याख्याता, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर